

**यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी,
जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.**

10 - 533 / 2025

वान : -

1. चैतन्य बिश्नोई पुत्र विपिन बिश्नोई नाबालिग जरिये माता सुरभि पत्नी विपिन बिश्नोई जाति बिश्नोई निवासी गिलवाला त0 टिब्बी।
2. दुष्यन्त पुत्र विपिन बिश्नोई नाबालिग जरिये माता सुरभि पत्नी विपिन बिश्नोई जाति बिश्नोई निवासी गिलवाला त0 टिब्बी।
3. सुरभि पत्नी विपिन बिश्नोई जाति बिश्नोई निवासी गिलवाला त0 टिब्बी।

वादीगण

बनाम

1. विमला देवी पत्नी विष्णुदत्त बिश्नोई निवासी गिलवाला त0 टिब्बी।
2. विपिन पुत्र विष्णुदत्त बिश्नोई निवासी गिलवाला त0 टिब्बी।
3. विनय पुत्र विष्णुदत्त बिश्नोई निवासी गिलवाला त0 टिब्बी।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार टिब्बी।

प्रतिवादीगण

16/01/26

आज यह वाद मुझ उपखण्ड अधिकारी सत्यनारायण के समक्ष प्रस्तुत होने पर अधिवक्ता श्री महावीर वर्मा वादी एवं श्री करनैल सिंह प्रतिवादीगण की उपस्थित में डिक्री किया जाकर चक नं0 5 एफटीपी के जमाबदी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 93 / 82 में कुल 4.301 है0 में प्रतिवादीया सं0 1 ता 3 प्रत्येक का 1/3 हिस्सा, चकनं0 3 एफटीपी के खाता सं0 78/17 में कुल 9.8930 है0 आराजी प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 प्रत्येक का 1 / 3 हिस्सा, चक नं0 3 एफटीपी के खाता सं0 79 / 65 में कुल 10.854 है0 आराजी में प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 प्रत्येक का 1 / 3 हिस्सा आराजी में वादीगण व प्रतिवादीगण की निम्नानुसार घोषणा की जाकर खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

क. वादीगण सं0 1 ता 3 को ब०हि०ब० प्राप्त आराजी :- चकनं0 3 एफटीपी के खाता सं0 78/ 17 में कुल 9.8930 है0 आराजी में प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 प्रत्येक का 1/3 हिस्सा, वादीगण सं0 1 ता 3 को प्राप्त।

ख. प्रतिवादी सं0 2 विपिन को प्राप्त आराजी:- चक नं0 3 एफटीपी के प०न० 218 / 236 मु० 37 किलानं0 15/1/228 है0 15/2/.025 है0 गै०मु० खाला, 16/1/228, 16/2/.025 है0 गै०मु० खाला, 25/1/.228, 25/2/.025 है0 गै०मु० खाला।

ग. प्रतिवादी सं0 3 विनय को प्राप्त आराजी :- चक नं0 3 एफटीपी के प०न० 216/237 मु० 48 किलानं0 23, प०न० 217/238 मु० 50 किलानं0 10 ता 14, 16 ता 20, 21/1/.215, 21/2/.038 है0 गै०मु० रास्ता, 22/1/.215 है0, 22/2/.038 है0 गै०मु० रास्ता, 23/1/.215, 23/2/.038 है0 गै०मु० रास्ता, 24/ 1 / .215, 24/2/.038 है0 गै०मु० रास्ता,

Page 5 of 6


25/1/.215, 25/2/.038 है० गै०मु० रास्ता, प०न० 217/239 मु० 58 किलानं० 1 ता 4, 8
ता 10, 11 /.228, 12, प०न० 218/236 मु० 37 किलानं० 3/1/.228, 3/2/.025 गै०मु०
खाला, 4/1/.228, 4/2/.025 है० गै०मु० खाला, 5/1/.203, 5/2/0.050 गै०मु० खाला,
6/1/.228, 6/2/.025 है० गै०मु० खाला, 7,8,13,14,17,18,22,23,24, प०न० 219/236 मु० 38
किलानं० 1/1/. 228, 1/2/.025 है० गै०मु० खाला, 10।

घ. प्रतिवादीया सं० 1 विमला देवी व प्रतिवादी सं० 3 विनय को ब०हि०ब० प्राप्त
आराजी:- चकनं० 5 एफटीपी के खाता सं० 93/82 में अंकित कुल 4.301 है० में से प्रतिवादी
सं० 2 विपिन के 1/3 हिस्सा की आराजी ।

इसी अनुसार चक 3 एफटीपी के खाता सं० 78/17 में से प्रतिवादी सं० 1 ता 3 का नाम
कलमजन चक 3 एफटीपी के खाता सं० 79/65 में से प्रतिवादीया सं० 1 विमला देवी का नाम
कलमजन व चक 5 एफटीपी के खाता सं० 93 में से प्रतिवादी सं० 2 विपिन का नाम कलमजन
किया जावें। कृषि भूमि पर यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश, रहन आदि न हो तो
उपरोक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्ष
अपना अपना वहन करें।

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक...16/01/26...को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई है।




(सत्यनारायण)
उपखण्ड अधिकारी R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़